

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2019—आषाढ़ 31, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

नि:शक्तजनों के पदों का विन्हांकन

विभाग का नाम:- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

श्रेणी	पद/सर्वग का नाम	सीधी मरती के लिये स्वीकृत पद	योग	नि:शक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/सर्वग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5 %	बहरे और कम सुनने वाले 1.5 %	लोकमोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुत्त, बोनापन, एसिडअटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक जिला सांख्यिकीय अधिकारी/	17	19	01	00	00	01	00	01	
	प्रोग्रामर	2								
	योग:-	19	19	01	00	00	01	00	01	
तृतीय श्रेणी	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	68	68	04	01	01	01	01	04	
	अन्वेषक/खंड स्तर	270	270	16	04	04	04	04	16	
	सहायक ग्रेड-3	96	96	06	01	02	02	01	06	
	स्टेनोटाईपिस्ट	19	19	01	00	00	01	00	01	
	योग:-	463	463	27	06	07	08	06	27	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	137	137	08	02	02	02	02	08	
	योग:-	137	137	08	02	02	02	02	08	

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में सहकारिता विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) सहकारिता विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"

निशक्तजनों के पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम:- सहाकारिता विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी मरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5 %	बहरे और कम सुनने वाले 1.5 %	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बानापन, एसिडोएटिक पीडित सस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	सहायक आयुक्त	43	43	03	01	01	01	00	03	मैदानी कार्य की अधिकता होने से
	सहायक यंत्री	01	01	0	0	0	00	00	0	
	योग:-	44	44	03	01	01	01	0	03	
तृतीय श्रेणी	सहाकारी निरीक्षक	455	455	27	05	09	09	04	27	
	उप अंकक्षक	474	474	29	05	09	10	05	29	
	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	25	25	01	00	0	01	0	01	
	सहायक ग्रेड-3	222	222	15	03	05	05	02	15	
	स्टेनोग्राफिस्ट	23	23	01	00	00	01	00	01	वाहन चालन कार्य की सतर्कता को दृष्टिगत रखते हुये
वाहन चालक	22	22	00	00	00	00	00	00		
योग:-	1221	1221	73	13	23	26	11	73		

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में जनसम्पर्क विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) जनसम्पर्क विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

अनुसूची "दो"
निःशक्तजनों के पदों का चिन्हांकन

श्रेणी	विभाग का नाम:- पद/संवर्ग का नाम	सीधी मरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं सख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5 %	बहरे और कम सुनने वाले 1.5 %	लोकामोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिडअटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	सहायक सचालक (राजपत्रित श्रेणी)	32	32	02	01	00	01	00	02	
	योग:-	32	32	02	01	00	01	00	02	
तृतीय श्रेणी	सहायक जन. अधिकारी(कार्यपालिक)	24	24	01	00	00	00	01	01	
	तकनीशियन (कार्यपालिक श्रेणी)	14	14	01	00	00	01	00	01	
	प्रचार सहायक ग्रेड-2 कार्यपालिक श्रेणी)	11	11	01	00	01	00	00	01	
	सहायक ग्रेड-3 / कातिव (लिपिकीय श्रेणी)	64	64	04	01	01	01	01	04	
	योग:-	113	113	07	01	02	02	02	07	
चतुर्थ श्रेणी	मृत्यु/फरार्श/ चौकीदार एवं स्वीपर संवर्ग	197	197	12	03	03	03	03	12	
	योग:-	197	197	12	03	03	03	03	12	